

बैंक लोन

उपलब्ध

आवेदन फार्म ₹100 में उपलब्ध है.



आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. एव एल.आई.जी.) श्रेणी के आवासीय प्लॉट आवटन योजना

योग्यता मापदडः

- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। (स्वयं घोषित/नोटरी शपथ पत्र)
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) प्लॉट के लिए 3 लाख रुपये एवं एल.आई.जी. (LIG) प्लॉट के लिए 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। (स्वयं घोषित/नोटरी शपथ पत्र)।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से मध्यप्रदेश राज्य में कोई आवास/भखण्ड न हो। (नोटरी शपथ पत्र)
- कोई भी आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर कार्यालय इन्दौर को होगा।
- बैंक बचत खाता होना अनिवार्य है।

आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

प्लॉट की योजना

- ओमेक्स सिटी-1. ओमेक्स ग्रीन, बाल्याखेडी, इन्दौर
- लायसेंस संख्या 25/2017 दिनांक 11/05/2017
- स्वीकृत मानचित्र पत्र क्रमांक ४०४० दिनांक 01/06/2016
- विकास अनुमति पत्र क्रमांक 46/2016 दिनांक 21/10/2016
- डायवर्जन आर्डर पत्र क्रमांक 06/अ-2/13-14 दिनांक 10/03/2014
- रेरा रजिस्टेशन क्रमांक P-IND-17-898

सिटी ऑफिस : एफ.एफ. 58. आर्बिट मॉल. ए.बी.रोड. इन्दौर

साइट ऑफिस : ओमेक्स सिटी-1, आगरा-मुम्बई बायपास, मायाखेड़ी, इन्दौर विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें : +91 830 2222 333

"That the company is in the process of updating the information on its projects . This brochure or advertising material or information hereof on this project or any product (unit) of the company is solely for informational purposes and the viewer has not relied on this information for making any booking/purchase in any project of the Company and fully understands and agrees that the information on (s)the project / product(s)(unit) may undergoes updation may be required. Accordingly, all this shall not constitute as advertising, marketing, booking, selling or an offer for sale, or invitation to purchase a unit in any project by

the Company. The Company or any officer shall not be liable for any consequence of any action taken by the viewer relying on such material/information."